

कार्यालय,

प्राचिन, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार।

संख्या:- प्राचिन/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

तखनऊ: दिनांक: 30/08/2022

:-कार्यालय भाष:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली-फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राचिन शिक्षा परिषद उ0प्र0 तखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 10/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संघालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राचिन शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 तखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3381-SIGNA COLLEGE OF PHARMACY

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयीं सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राचिन शिक्षा परिषद सत्र 1962 तथा प्राचिन शिक्षा परिषद त्रिनिदाद/ग्वेनेसी 1992, विनियमवर्ग-2000, सेमेस्टर विनियमवर्ग-2016 तथा समय-समय पर निर्गमित शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु रूप 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रूप- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रूप-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गमित किये जाने वाले शासनादेश पढाती होगी, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गमित शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गमित विनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राचिन शिक्षा, उ0प्र0 समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राचिन शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में संयुक्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्रवाई के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के चेकडू यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में धा. अध्यालय द्वारा किसी प्रकार की निरपेक्ष संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संयुक्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करना होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करना होगा अतथा उन्हें प्रदेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रदेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रदेश) अनुमति पदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश हेतु सफल-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सभी सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक दृष्टि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुत्का, छात्रावास सुत्का आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु अपेक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के साथ शैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराने एवं अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के औचक स्थतीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(हस्ताक्षर)

(एफ०आर० खान)

सचिव

एफ०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० परिषद संख्या/2022/7113-8455

दिनांक: 30/08/2022


प्रतिलिपि -

प्रधानाचार्य, निदेशक, SIGMA COLLEGE OF PHARMACY

(हस्ताक्षर)

(एफ०आर० खान)

सचिव



संघीय,**राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश सञ्चालन।**

संख्या:- प्राविधिकपरिषद सम्बन्धित/2021/3637

सञ्चालन संख्या: 02404/2021

संघीय संघ:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली फार्मसी क्वालिफिकेशन अंशक इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद आपका सञ्चालन से सम्बन्धी सम्बन्धी विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 11.08.2021 को राष्ट्रिय कार्यालय से सम्बन्धी समिति की बैठक संचालित हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आर्सेटिल नई संस्थाओं को सम्बन्धी पूर्व से सञ्चालित संस्थाओं को सम्बन्धी विस्तार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सदी पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बन्धी सम्बन्धी विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बन्धी समिति की बैठक में विद्यमान विधायक के अनुसार सत्र को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 31 पर सञ्चालन द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बन्धी विस्तार प्रदान की जाती है -

संस्था का नाम का नाम : 1341-SIGNA COLLEGE OF PHARMACY, 408, DHARMANGATPUR, NEAR-SANCHEDI, THANA KANPUR NAGAR.

संख्या	पाठ्यक्रम का नाम	एडमिशन/सीटों/वीसों/आर्सेटिल द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	80	80

सम्बन्धी हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एडमिशन/सीटों/वीसों/आर्सेटिल द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992 सेक्टर विनियमवली-2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तैयार करके इजाजत पाठ्यक्रमों हेतु रु 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जावेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले भाषनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार

कार्यवाही किया जाता आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सब 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा समितिया तथा उप समितिया संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। शैली के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एरआइएसीआईआईपीएसीआईआई से आतासै सब हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था: उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निदेशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा उपाय, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उपाय तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उपाय द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विप्लोता इन फार्मसी पर्यक्रम की संख्याए यदि भी ही आइ. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बाध दायर किया जाता है तथा दायर बाध के संबंध में या न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी अर्थात् निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विप्लोता इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश न्यायनिका द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पीपीसीआईआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद संबंधित सभी उपलब्ध क्वाना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपनी वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्थापना, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क (प्रशासन शुल्क आदि) का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ पैरिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में परस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को यथासंभव हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-सबल, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किया जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्वस्थ निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि भंडन उपयोगिता, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा एरआइएसीआईआईपीएसीआईआईपरिषद के मामलानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार

अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

(सुनील कुमार सोलंकर)

सचिव

फ़ोन- शांतिपुरविषय सम्बद्धतः 2021/3-538-4809

दिनांक: 08/08/2021


प्रतिलिपि -

प्रधानाचार्य/निदेशक BINA COLLEGE OF PHARMACY, 408, DHARMANGATPUR, NEAR-
SANCHEDI, THANA KANPUR NAGAR.



(सुनील कुमार सोलंकर)

सचिव



**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,
सतलुज प्रदेश संघनक।**

संख्या:- अतिथि/परिषद सम्बद्धता/2020/1871

संघनक दिनांक: 15-8-2020

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मली कार्यालय और इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु विज्ञाना स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुसंधान प्रदान किए जाने के तुरन्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, संघनक से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अखिल प्राविधिक शिक्षा परिषद, संघनक संघनक की सम्बद्धता से परिषद कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में सहिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से कार्यालय संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश सत्यापन अथवा नवीन विस्तार कक्षा हुर सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद्-3 में विज्ञाना हुर फार्मली पाठ्यक्रम संस्थाओं करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं को प्रकाशन किया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नानु निर्णय लिया गया :-

" विज्ञान क्षेत्र में स्थापित विज्ञाना हुर फार्मली पाठ्यक्रम संस्थाओं करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, संघनक संघनक से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीठनी-आर्गो द्वारा अपने पाठ्यक्रम अनुसंधान विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीठनी-आर्गो द्वारा प्रदान किये गये अनुसंधान विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्बद्ध अखिल पाठ्यक्रम/प्रवेश सत्यापन के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सहिति से पीठनी-आर्गो द्वारा सदस्य अनुसंधान विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार किये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आहुत सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये तुरन्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न सत्यापन प्राविधिक शिक्षा परिषद, संघनक संघनक द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित सत्यापन के अधीन पाठ्यक्रम एवं उनके अखिल प्रवेश सत्यापन हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. संख्या	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीठनी-आर्गो द्वारा सत्र 2020-21 में अनुसंधान प्रवेश सत्यापन	पीठनी-आर्गो/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुसंधान प्रवेश सत्यापन
1	सत्यापन संस्थाओं और फार्मली संस्थाओं द्वारा सत्यापन प्रदान किया गया।	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	सत्र 2020-21 में अनुसंधान प्रवेश सत्यापन	सत्र 2020-21 में अनुसंधान प्रवेश सत्यापन

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एंजॉर्गो-आर्गो/पीठनी-आर्गो द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों को पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था संघनक प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद संघनक संघनक प्राविधिक शिक्षा परिषद दिनांक 1982 संघनक संघनक संघनक-2018 तथा अन्य निर्धारित नियमों एवं आदेशों को अनुपालन करेगी तथा सुझाव निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित सुझाव सत्र 2020-21 हेतु संघनक संघनक संघनक 100/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों के फार्मली पाठ्यक्रम हेतु 100-100000/- प्रतिवर्ष एक एक तथा दो वर्षों के पाठ्यक्रमों (दो वर्षों के फार्मली पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु 100-100000 प्रतिवर्ष सुझाव ही संघनक संघनक संघनक से प्राप्त किया जाएगा। तुरन्त के अतिरिक्त संघनक संघनक संघनक से सुझाव के सम्बन्ध में समझ-समझ पर सत्यापन द्वारा निर्णय किये जाने वाले मामलों में सत्यापन होने और तदनुसार सत्यापन की विधि

(Handwritten Signature)

कार्य अत्यन्त हीन)। नीचे निर्देशन समिति द्वारा यही वर्ष 2020-21 हेतु नीचे के सुनिश्चित किया जाता है, जो नीचे की शर्तों पर ही लागू होगी।

- ✓ संस्था को (समाप्त) प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा उन समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किए जाएंगे) विधिवत/2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में अनुसूचित जाति शैक्षिक द्वारा आयोजित शर्तों को ही प्रवेश दिया जायेगा। शैक्षिक को मिल चुके जाने की स्थिति में उससे प्रवेश सामान्य के विद्यार्थियों को प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को सत्र-सत्र पर निम्न सहायकों को अनुसूचित शिक्षण एवं सम्बद्धता सुनिश्चित करा जाएगा होगा।
- ✓ संस्था को प्राथमिक/द्वितीय/विद्यार्थियों से आगामी वर्ष हेतु अनुसूचित द्वारा किया जाए अत्यन्त हीन)।
- ✓ संस्था द्वारा प्रवेश सामान्य द्वारा कराये गये विधि/विधियों/अभिनियमों/कार्यवाहियों/निर्देशों एवं निर्देशक प्राथमिक शिक्षा, समाप्त, अनुसूचित जाति शैक्षिक, समाप्त एवं प्राथमिक शिक्षा शैक्षिक, समाप्त द्वारा कराये गये विधियों, विधियों, निर्देशों का पालन करने को निर्देश दिया होगा।
- ✓ विद्यार्थी इन शर्तों पर अनुसूचित शैक्षिक को संस्था में विधि-विधि/सर्वे विद्यार्थी से अनुसूचित द्वारा करने में अत्यन्त हीन) है जो इन शर्तों में समाप्त सहायकों संस्था का होगा और विधिक रूप से विधि की कार्यवाही को हेतु संस्था सत्र सहायकों होगी। प्राथमिक शिक्षा शैक्षिक, अनुसूचित जाति शैक्षिक, प्राथमिक शिक्षा निर्देशक एवं प्राथमिक शिक्षा शिक्षण द्वारा प्रवेश सामान्य को सर्वे सत्र द्वारा किया जाता है तथा सत्र सत्र के सत्र में स. सहायता द्वारा किसी प्रकार की प्रतिकूल कार्यवाही करने निर्देश किया जाता है जो समाप्त प्रतिकूल कार्यवाही संस्था को करने होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन शर्तों पर अनुसूचित शैक्षिक करने वाली संस्थाओं को अनुसूचित जाति शैक्षिक, समाप्त प्रवेश अत्यन्त हीन) द्वारा प्रवेश करने को हेतु आयोजित प्रवेश शैक्षिक हेतु आयोजित प्रवेश होने को पूर्ण विद्यार्थियों से अनुसूचित द्वारा कर प्रवेश कार्यवाही को अत्यन्त हीन) संस्था करने प्रवेश की (अभिनियमों की भाषण में अत्यन्त हीन) संस्था सत्र पर शैक्षिक प्रवेश) अनुसूचित नहीं प्रवेश की जायेगी।
- ✓ प्रवेश प्रवेश कार्यवाही द्वारा प्रवेश हेतु निम्न शैक्षिक अत्यन्त हीन) की अनुपालन करना अत्यन्त हीन) होगा।
- ✓ संस्था को करने विद्यार्थी पर संस्था की समाप्त सुनिश्चित करने संस्था की विद्यार्थी सुनिश्चित, सत्र, सत्र-सत्र, सहायता, सत्र किया जाने सत्र सुनिश्चित, सहायता सुनिश्चित शर्तों का विचार अत्यन्त हीन) प्रवेश होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्राथमिक हेतु अनुसूचित सहायता अत्यन्त हीन) करने को सत्र शैक्षिक होने को संस्था में समाप्त अत्यन्त हीन) सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित को जो कि संस्था में प्राथमिक/सहायता सहायता को कराये जाने हेतु निर्देशन समिति को सत्र अत्यन्त हीन) करने गये अभिनियम, सुनिश्चित, शैक्षिक, सहायता सुनिश्चित का यही संस्था द्वारा किसी अन्य सहायता के सहायता में प्रवेश किया जाता है और शैक्षिक को सुनिश्चित कार्यवाही होगी है कि संस्था सहायता का प्रवेश किसी अन्य कार्य को हेतु कर रही है जो सहायता संस्था की सम्बद्धता समाप्त किने जाने की अनुसूचित की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किने जाने अत्यन्त हीन) का सहायता किने जाने की स्थिति में विद्यार्थियों अनुसूचित/सहायता कार्यवाही की जायेगी।

(सत्र अत्यन्त हीन) शिक्षा
शैक्षिक

सुना- शैक्षिक/शैक्षिक सम्बद्धता/2020/ 1873-2181 एवं दिनांक 10-08-2020
 बहिष्कार-अभिनियम/निर्देशक, शिक्षा शैक्षिक शैक्षिक शैक्षिक, 438 अजीमगढ़, मिरा-रौरी, सत्र सहायता सत्र।

(सत्र अत्यन्त हीन) शिक्षा
शैक्षिक

